



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 अक्टूबर, 2021

आश्विन 15, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य तथा रसद अनुभाग-6

संख्या 1747/29-6-2021-115सा-2014

लखनऊ, 7 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प0आ0-328

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 20 सन् 2013) की धारा 40 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 को संशोधित करने के लिये जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, समस्त सम्बंधित व्यक्तियों को सूचना के लिए और तत्सम्बंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकते हैं। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर प्राप्त होंगे।

नियमावली का प्रारूप

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 में, नियम 3 में, उपनियम (17) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

“(18) आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने अथवा अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध जाँच संस्थित किये जाने की स्थिति में, राज्य सरकार अस्थायी व्यवस्था के रूप में आयोग के किसी अन्य सदस्य को आयोग के सदस्य के रूप में अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ ही साथ आयोग के अध्यक्ष के कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है।”

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1747/XXIX-6-2021-115sa-2014, dated October 7, 2021:

No. 1747/ XXIX-6-2021-115sa-2014

Dated Lucknow, October 7, 2021

The following draft rules which the Governor propose to make in exercise of the powers under section 40 of the National Food Security Act, 2013 (Act no.20 of 2013) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.10 of 1897) to amend the Uttar Pradesh State Food Commission Rules, 2015 are hereby published for the information of all concerned and with a view to invite objection and suggestions in respect thereof.

2. Objections and suggestions, if any may be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Khadya Evam Rasad Vibhag, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within a period of 15 days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

Draft Rules

THE UTTAR PRADESH STATE FOOD COMMISSION (SECOND AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Food Commission (Second Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 3

2. In Uttar Pradesh State Food Commission Rules, 2015, in rule 3 after sub-rule (17) following sub-rule shall be *inserted*, namely:-

“(18) In the situation of a vacant post of the Chairman of the Commission or an inquiry being instituted against the Chairman or Member, the State Government may, as a temporary arrangement, authorize any other Member of the Commission to discharge the functions and duties of the Chairman of the Commission along with discharging of his functions and duties as the Member of the Commission.”

By order,
VEENA KUMARI,
Pramukh Sachiv.